



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935

No. 229]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2014

का.आ. 281(अ).—यतः मै. मायर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो हरियाणा राज्य में एक निजी संगठन है, ने ग्राम राहका और रानी-का सिंगोला, तहसील सोना, जिला गुडगाँव, हरियाणा राज्य में जैव प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 8 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2168 (अ) द्वारा 25.1777 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और, यतः मै. मायर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 25.1777 हेक्टेयर क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को उपर्युक्त क्षेत्र को अनाधिसूचित किए जाने हेतु अनुमोदित पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती है ऐसे निरसन के पूर्व की गई है या किए जाने से निवारित की गई है।

[फा. संख्या एफ. 1/25/2007-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

413 GI/2014

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2014

S.O. 281(E).— Whereas, M/s. Mayar Infrastructure & Development Pvt. Ltd. had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Biotechnology at village Rahka and Rani-ka-Singola, Tehsil-Sohna, District-Gurgaon in the state of Haryana;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 25.7177 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2168(E) dated 8th September, 2008;

And, whereas, M/s. Mayar Infrastructure & Development Pvt. Ltd. has proposed to denotify the entire area of 25.1777 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de notification of above area on 8th November, 2013;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/25/2007-SEZ]

RAJEEVARORA, Jt. Secy.